


19.11.2024:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र मे कोई कार्यवाही नहीं कि जा रही है। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

